अध्याय - VIII

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

8.1 आबद्ध भांडागार हेतु किराए का परिहार्य भुगतान

समुद्र सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र, कोच्चि ने आबद्ध भांडागार में अप्रयुक्त तथा कार्य के अयोग्य मदों का भंडार किया तथा आबद्ध भांडागार के किराए के लिए ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 49 के अनुसार, आतंरिक उपभोग के लिए प्रविष्ट आयातित वस्तुएँ, चाहे शुल्क देय है या नहीं, को सार्वजनिक भांडागार में 30 दिनों तक की अवधि हेतु भण्डार किए जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, यदि वस्तुओं का उचित समय[47] में समाशोधन नहीं कर सकते हैं। सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 के अनुसार किसी भी 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम में प्रयोग हेतु मांगे गए मदों के अलावा वाले मामलो में, गोदाम में सुरक्षित मद, भांडागारों में छोड़े जा सकते है, जिनमें वे जमा किए गए थे या किसी भी अन्य भांडागारों में एक वर्ष समाप्त होने तक हटाया जा सकता है, जिसकी अवधि सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्त द्वारा उतनी अवधि के लिए जैसा वह उचित समझे, बढाई जा सकती है। सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 59 व 60 कथित करते है कि वस्तुओं का आयातक जिसने भंडारण में प्रविष्टि की, एक अनुबंध का पालन करेगा जिस पर उचित अधिकारी भांडागार में वस्तुओं को जमा करने की अनुमति देगा।

समुद्र सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र, कोच्चि (सी.एम.एल.आर.ई.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) का एक सम्बद्ध कार्यालय है, जो देश में समुद्र विकास गतिविधियों को व्यवस्थित, समन्वित तथा प्रोत्साहित करता है। सी.एम.एल.आर.ई. ने केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) कोच्चि में एफ.ओ.आर.वी. सागर सम्पदा[48] पोत के बोर्ड पर भविष्य उपयोग हेतु आबद्ध भंडार में भण्डारण करने हेतु किराए पर जगह ली (1984-85)। सी.एम.एल.आर.ई. ने 1985 से

---

47 प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त भंडारण के लिए अवधि को एक बार में और 30 दिनों तक बढ़ा सकते हैं।

48 एफ.ओ.आर.वी. सागर सम्पदा एक अनुसंधान जलयान है जो भूतपूर्व समुद्र विकास विभाग के स्वामित्व में था। सी.एम.एल.आर.ई. 1991 में पहले सागर सम्पदा सेल के तौर पर शुरू किया गया तथा बाद में पूर्ण रूप से विकसित केन्द्र के रूप में गठित किया गया।

2005 के बीच खरीदी गई आयातित वस्तुओं का आबद्ध भांडागार में भण्डारण किया। सी.एम.एल.आर.ई. ने आबद्ध भांडागार में 69 वर्गमीटर खुला क्षेत्र तथा 235 वर्गमीटर बंद क्षेत्र लिया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि अधिकतर वस्तुओं का उपयोग नहीं किया गया तथा वे आबाद्ध भांडागार में रखी थी। आगे, भांडागार का प्रयोग कार्य के अयोग्य वस्तुओं के भंडारण के लिए भी किया जा रहा था, जिनका निपटान किया जाना था। अप्रैल 2016 को, आबाद्ध भांडागार में ₹ 1.11 करोड़ कीमत वाले 247 मदों में से ₹2.50 लाख कीमत वाले 52 मद कार्य के अयोग्य थे। इन अयोग्य मदों ने कुल 304 वर्गमीटर में से 174 वर्गमीटर क्षेत्र घेरा, जो कुल क्षेत्र का 57 प्रतिशत है। जनवरी 2017 तक इन मदो का निपटान किया जाना शेष था।

2009-10 से 2016-17 की अवधि के दौरान, सी.एम.एल.आर.ई. ने आबाद्ध भांडागार के किराए के लिए ₹ 1.03 करोड़ का व्यय किया। आबाद्ध भांडागार में बेकार तथा अयोग्य मदों का भंडार अविवेकी था तथा भांडागार हेतु किराए पर किया गया व्यय परिहार्य था।

सी.एम.एल.आर.ई. ने कहा (जुलाई 2015) कि जलयान के पूर्ण जीवन के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोत के साथ विभिन्न मदो की पर्याप्त संख्या का आदेश दिया गया था क्योंकि ये मद भारत में उपलब्ध नहीं थे। सी.एम.एल.आर.ई. ने आगे कहा (अप्रैल 2016) कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 49 तथा 67[49] के अंतर्गत आबाद्ध भांडागारो में वस्तुओं का भंडारण किया जा रहा था तथा ये वस्तुएँ या तो एफ.ओ.आर.वी. सागर सम्पदा के बोर्ड पर या तट पर आबाद्ध भांडागारो में रखे जाने थे। सी.एम.एल.आर.ई. ने आगे कहा (जनवरी 2017) कि वे बिना किसी भंडार सुविधा के परिसरों से कामकाज कर रहे थे तथा इस सीडब्ल्यूसी सुविधा का विकल्प नही था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 49 तथा 67 केवल उन वस्तुओं पर लागू थी जिनका आंतरिक उपयोग हेतु लंबित समाशोधन के लिए भांडागारो में भंडारण किया गया था। सी.एम.एल.आर.ई. द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत भंडार किए गए सभी मद तथा धारा 49 के अंतर्गत भंडार किए गए अधिकतर मद केवल रद्दी थे। आगे, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जो यह दर्शाए कि अनुबंध निष्पादित किया गया तथा उचित अधिकारी के विशिष्ट आदेश, जैसा कि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 59 तथा 60 में निहित है, इस तरह की बढ़ाई गई अवधि हेतु आबाद्ध भांडागारो में मदो के भंडारण हेतु या तो माँगे गए या प्राप्त किए

---

[49] धारा 67 के अनुसार मालिक द्वारा गोदाम में सुरक्षित मद उचित अधिकारी की अनुमति के साथ एक भांडागार से दूसरे भांडागार में हटाए जा सकते है।

गए। सी.एम.एल.आर.ई. का इसकी स्वंय की सुविधाओं की गैर-उपलब्धता को उद्धृत करता हुआ उत्तर इसके स्वंय के पूर्व कथन (अप्रैल 2016) के विरोधाभासी है कि ये मद या तो एफ.ओ.आर.वी. सागर सम्पदा या तटो पर आबाद्ध भांडागारो में रखे जाने चाहिए।

इस प्रकार, आबाद्ध भांडागारो में अप्रयुक्त तथा कार्य के अयोग्य मदों को भंडारण का परिणाम आबाद्ध भंडागारो हेतु ₹ 1.03 करोड़ की सीमा तक किराए का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (सितम्बर 2017); इसका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

8.2 अनियमित वेतन संरक्षण

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने नियमित आधार पर अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति पर उनका वेतन संरक्षण अनियमित रूप से मंज़ूर किया। परिणामस्वरुप 44 कर्मचारियों को ₹ 1.97 करोड़ के वेतन तथा भत्तों का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मूल नियमावली के नियम 22-बी के नीचे भारत सरकार आदेश स्पष्ट करता है कि चूँकि एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी किसी भी पद पर धारणाधिकार नहीं रखता है, जब इस तरह का व्यक्ति एक सेवा/पद में स्थायी होता है, तो वेतन, कर्मचारी द्वारा अस्थायी क्षमता में पिछले पद पर लिए जा रहे वेतन के संदर्भ में पुनर्नियतन नहीं किया जाएगा, परन्तु सेवा/पद के पे-स्केल में वेतन प्राप्त करेगा।

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (एन.आई.ओ.टी.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन द्वारा स्टाफ के विभिन्न संवर्गो जैसे संस्वीकृत पदों के समक्ष नियुक्त नियमित स्टाफ, संस्वीकृत पदों के समक्ष नियुक्त अनुबंध स्टाफ तथा शासी परिषद् को सौंपी गई शक्तियों के अनुसार अल्पावधि पर नियुक्त तदर्थ स्टाफ, के लिए कर्मचारी सेवा नियम सूत्रित किए (सितम्बर 2000)।

जून 2006 से अक्टूबर 2009 की अवधि के दौरान, एन.आई.ओ.टी. ने 58 अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियो की नियुक्ति नियमित की। इन कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धियों के साथ नियमित वेतनमान मंजूर किए गए, जबसे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति अनुबंध आधार पर थी।

इन कर्मचारियों के वेतन नियतन की संवीक्षा से यह उजागर हुआ कि स्थायी आधार पर नियुक्त किए गए 58 अनुबंध कर्मचारियों में से, 44 मामलों में, न्यूनतम वेतनमान/पे-बैंड पर वेतन तय करने की बजाय, एन.आई.ओ.टी. ने इन कर्मचारियों का वेतन उनके द्वारा अनुबंध आधार पर प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए तथा उनके द्वारा लिए जा रहे मूल वेतन को संरक्षित करते हुए तय किया था। क्योंकि अनुबंधित कर्मचारियों का उनके पूर्व पद पर कोई धारणाधिकार नहीं था, अतः प्रदाय किया गया वेतन संरक्षण अनियमित था तथा परिणामस्वरूप, मार्च 2017 तक, इन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर ₹ 1.97 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

एन.आई.ओ.टी. ने कहा (सितम्बर 2016) कि अनुबंध कर्मचारियों के वेतन को अगस्त 1989[50] में जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) में अनुबंधित दिशानिर्देशों की अनुरूपता के आधार पर संरक्षित किया गया था। एन.आई.ओ.टी. ने आगे कहा (नवम्बर 2017) कि ये कर्मचारी छह वर्ष से नौ वर्ष तक की अवधि में सेवा में थे तथा वे, नियमित आधार पर समान पद पर कर्मचारियों के समान ही टाइम स्केल में वेतन ले रहे थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, इस तरह के वेतन संरक्षण को उन कर्मचारियों के लिए नहीं बढाया गया था जो अक्टूबर 2009 के बाद नियमित हुए थे।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वेतन संरक्षण का लाभ अनुबंध कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता है। एन.आई.ओ.टी. द्वारा संदर्भित कार्यालय आदेश सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विश्वविद्यालयों, अर्ध-सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त निकायों में कार्य कर रहे नियमित कर्मचारी, जो सरकारी सेवा में नियुक्त किए गए थे, के वेतन संरक्षण से सबंधित है ना कि अनुबंध कर्मचारियों के लिए।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (अक्टूबर 2017); इसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

---

[50] डीओपीटी ओएम, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विश्वविद्यालयों, अर्ध-सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त निकायों में कार्य कर रहे कर्मचारी जो सरकारी सेवा में नियुक्त किए गए थे, के लिए वेतन नियतन के दिशानिर्देशों को अनुबंधित करता है।